डीपीआईआईटी में मामलों को प्रस्तुत करने और निपटान स्तर (सीएसएलडी) के चैनल

1. सक्षम प्राधिकारी अर्थात एसआईटी ने डीपीआईआईटी के विभिन्न अनुभागों में निपटाए जा रहे मामलों/मुद्दों के संबंध में प्रस्तुत करने और निपटान के स्तर के निम्नलिखित चैनल को मंजूरी दी है।

   1) वीआईपी संदर्भों से संबंधित सभी फाइलें संबंधित अपर सचिव / संयुक्त सचिव द्वारा सचिव (डीपीआईआईटी) के माध्यम से रूट किए बिना सीधे राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी।

   2) सभी फाइलें, जिनमें राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता है, संबंधित निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ विकास अधिकारी द्वारा शुरू/प्रारम्भ की जायेंगीं और निदेशक/उप सचिव/ वरिष्ठ विकास अधिकारी - **संयुक्त सचिव / अपर सचिव - सचिव (डीपीआईआईटी) - राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री** के रूप में रूट किया जाना चाहिए। संबंधित निदेशक / उप सचिव / वरिष्ठ विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा फाइल प्रस्तुत की जाएगी। यद्पि, यदि लिंक अधिकारी भी उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अवर सचिव द्वारा फाइल शुरू/प्रारम्भ की जाएगी और सीधे संबंधित संयुक्त सचिव / अपर सचिव को प्रस्तुत की जाएगी।

   3) उन मामलों के संबंध में, जहां फाइल सयुक्त सचिव/ अपर सचिव को प्रस्तुत की जानी है, प्रस्तुत करने का चैनल संबंधित विंग-प्रमुख द्वारा निम्नानुसार तय किया जाएगा:

      क) सहायक अनुभाग अधिकारी /अनुभाग अधिकारी - अवर सचिव - निदेशक /उप सचिव /वरिष्ठ विकास अधिकारी - संयुक्त सचिव / अपर सचिव या

      ख) **सहायक अनुभाग अधिकारी - अनुभाग अधिकारी / अवर सचिव - निदेशक/उप सचिव / वरिष्ठ विकास अधिकारी - संयुक्त सचिव / अपर सचिव**

   4) नियमित मामलों की फाइलें, जहां किसी वित्तीय और साथ ही प्रशासनिक निर्णय की आवश्यकता नहीं है, का निपटान एकल स्तर/चैनल पर किया जाना चाहिए। संबंधित विंग-प्रमुख अपने विंग के लिए ऐसा स्तर तय करेंगे।

   5) पीएमओ के संदर्भों से संबंधित सभी फाइलें जिनमें जवाब पीएमओ को वापस भेजा जाना है, जवाब भेजने से पहले अनुमोदन के लिए एसआईआईटी को प्रस्तुत की जाएगी।

2. सभी अधिकारियों एवं अनुभागों/प्रभागों को सूचना एवं अनुपालन हेतु चार कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.04.2021, 02.06.2021, 16.06.2021 एवं 29.062021 को जारी किये जा चुके हैं। 4 कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां संलग्न हैं।

फा. सं. पी-11021(13)/18/2021-ओ एंड एम
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः डीपीआईआईटी में पीएमओ के संदर्भों के प्रस्तुत करने के चैनल और मामलें निपटान का स्तर- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि डीपीआईआईटी में पीएमओ संदर्भ के संबंध में प्रस्तुतीकरण के चैनल और निपटान के स्तर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पीएमओ के संदर्भों से संबंधित सभी फाइलें जिनमें जबाव पीएमओ को वापस भेजा जाना है, जवाब भेजने से पहले अनुमोदन के लिए सचिव (डीपीआईआईटी) को प्रस्तुत की जाएंगी।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी अनुभागों/प्रभागों से अनुरोध है कि वे अपनी पीएमओ संदर्भ फाइल को तत्काल प्रभाव से रूट/प्रस्तुत करें।

3. यह सचिव (डीपीआईआईटी) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

रामनरेश
(राम नरेश)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. अपर सचिव (एसएस) / अपर सचिव (एसडी) / अपर सचिव (एए) / अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार / मुख्य आर्थिक सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (वीके) / संयुक्त सचिव (आरआर) / संयुक्त सचिव (एम) / संयुक्त सचिव (आरकेएस) के प्रधान निजी सचिव
3. सभी निदेशक / उप सचिव / वरिष्ठ विकास अधिकारी
4. सभी शाखा अधिकारी / प्रभाग

सुचनार्थ प्रतिलिपिः
1. राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री के प्रधान निजी सचिव
2. सचिव (डीपीआईआईटी) के प्रधान स्टाफ अधिकारी

फा. सं. पी-11012(11)/1/2020-ओ एंड एम
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)
(ओ एंड एम अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः डीपीआईआईटी में 'प्रस्तुती के चैनल तथा निपटान के स्तर' की समीक्षा - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि त्वरित निर्णय लेने के लिए, संयुक्त सचिव / अपर सचिव (जहां फाइलें संयुक्त सचिव के माध्यम से प्रस्तुत नही की जाती हैं) तक के चैनल स्तरों को घटाकर तीन (3) कर दिया गया है। संबंधित विंग-प्रमुख द्वारा किसी भी समय संबंधित विंग के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, प्रस्तुतीकरण का चैनल निम्नानुसार तय किया जाएगा:

सहायक अनुभाग अधिकारी / अनुभाग अधिकारी - अपर सचिव - निदेशक / उप सचिव / वरिष्ठ विकास अधिकारी - संयुक्त सचिव / अपर सचिव
या
सहायक अनुभाग अधिकारी - अनुभाग अधिकारी / अवर सचिव - निदेशक / उप सचिव / वरिष्ठ विकास अधिकारी - संयुक्त सचिव / अपर सचिव

2. यदि सहायक अनुभाग अधिकारी / अनुभाग अधिकारी / अवर सचिव के स्तरों पर रिक्ति(यां) है/हैं तो संयुक्त सचिव / अपर सचिव (जहाँ फाइलें संयुक्त सचिव के माध्यम से प्रस्तुत नही की जाती हैं) के चैनल स्तर को आगे दो (2) तक घटा दिया जायेगा।

3. नियमित मामलों की फाइलें, जहां किसी वित्तीय और साथ ही प्रशासनिक निर्णय की आवश्यकता नहीं है, का निपटान एकल स्तर/चैनल पर किया जाना चाहिए। संबंधित विंग-प्रमुख अपने विंग के लिए ऐसा स्तर तय करेंगें।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

राम नरेश

(राम नरेश)
अवर सचिव, (ओ एडं एम)
फो. 23062687

सेवा में

1. अपर सचिव(एसएस) / अपर सचिव (एसडी) / अपर सचिव (ए) / मुख्य आर्थिक सलाहकार / अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
2. संयुक्त सचिव (आरआर) / संयुक्त सचिव (वीके) / संयुक्त सचिव (एम) / संयुक्त सचिव (आरकेएस)
3. सभी निदेशक / उप सचिव / वरिष्ठ विकास अधिकारी
4. सलंग्न सूची के अनुसार संबंधित शाखा अधिकारी / अनुभाग

फा. सं. पी-11021(13)/17/2021-ओ एंड एम
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)
***

दिनांक 2 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः मामलों को प्रस्तुत करने के चैनल और निपटान स्तर, जिनमें राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दिनांक 18.05.2021 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार निदेश दिये हैः

"फाइल प्रस्तुत करते समय अधिकारियों की संख्या को कम करें। संयुक्त सचिव के नीचे केवल एक ही अधिकारी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकता है।"

2. उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, यह निर्णय लिया गया है कि सभी फाइलें जिनमें एमओएस/सीआईएम का अनुमोदन अपेक्षित है, जिन्हें निदे./उ.स./व.वि.अ. द्वारा शुरू/प्रारम्भ किया जाये वे **निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ विकास अधिकारी - संयुक्त सचिव/अपर सचिव - सचिव (डीपीआईआईटी) - राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री** के क्रम में प्रस्तुत होगी। संबंधित निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में फाइल लिंक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। यद्पि, यदि लिंक अधिकारी भी उपलब्ध नही है, तो संबंधित अवर सचिव द्वारा शुरू/प्रस्तुत की जाएगी और सीधे संबंधित अपर सचिव / संयुक्त सचिव को प्रस्तुत की जाएगी।

3. सख्त अनुपालन के लिए निर्णय परिचालित किया जा रहा है।

4. इसे सचिव, डीपीआईआईटी के अनुमोदन से जारी किया है।

(राम नरेश)
अवर सचिव, (ओ एडं एम)
फो. 23062687

सेवा में

1. **अपर सचिव (एसएस) / अपर सचिव (एसडी) / अपर सचिव (एए) / अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार / मुख्य आर्थिक सलाहकार के प्रधान निजी सचिव**
2. **संयुक्त सचिव (वीके) / संयुक्त सचिव (आरआर) / संयुक्त सचिव (एम) / संयुक्त सचिव (आरकेएस) के प्रधान निजी सचिव**
3. **सभी निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ विकास अधिकारी**
4. **सभी शाखा अधिकारी/प्रभाग**

सुचनार्थ प्रतिलिपिः

1. वाणिज्य और उद्योग मंत्री के प्रधान निजी सचिव
2. राज्य मंत्री के प्रधान निजी सचिव
3. सचिव (डीपीआईआईटी) के प्रधान स्टाफ अधिकारी

फा. सं. पी-11021(13)/17/2021-ओ एंड एम
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)
***

दिनांक 15 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः डीपीआईआईटी में वीआईपी मामलों के प्रस्तुतीकरण करने के चैनल और मामले निपटान का स्तर, - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि डीपीआईआईटी में वीआईपी मामलों के प्रस्तुतीकरण के चैनल में एकरूपता सुनिश्तित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वीआईपी संदर्भों से संबंधित सभी फाइलें संबंधित अपर सचिव / संयुक्त सचिव द्वारा सचिव (डीपीआईआईटी) को रूट किये बिना, सीधे राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री को प्रस्तुत की जायेगी।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी अनुभागों/प्रभागों से अनुरोध है कि वे अपनी वीआईपी मामलों की फाइलों को तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत करें।

3. इसे सचिव, डीपीआईआईटी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

रामनरेश

(राम नरेश)
अवर सचिव, (ओ एडं एम)
फो. 23062687

सेवा में

1. अपर सचिव(एसएस)/अपर सचिव(एसडी)/अपर सचिव(वीआर)/अपर सचिव(एए)/अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार / मुख्य आर्थिक सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (वीके) / संयुक्त सचिव (आरआर) / संयुक्त सचिव (एम) / संयुक्त सचिव (आरकेएस) के प्रधान निजी सचिव
3. सभी निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ विकास अधिकारी
4. सभी शाखा अधिकारी/प्रभाग

सुचनार्थ प्रतिलिपिः

1. राज्य मंत्री / वाणिज्य और उद्योग मंत्री के प्रधान निजी सचिव
2. सचिव (डीपीआईआईटी) के मुख्य स्टाफ अधिकारी